न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–27/2020 (2020/00191) दर्ज दिनांक 20.07.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

शीर्षक

केवलचन्द उर्फ कंवरचन्द आत्मज नानु गुतवन्ना नाथुलाल खाती निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

——प्रार्थी

बनाम

1. माधु आत्मज नानु खाती
2. शंकरलाल आत्मज खेमा खाती
3. देवीलाल आत्मज खेमा खाती
4. छगनलाल आत्मज बद्रीलाल खाती
5. भगवानलाल आत्मज बद्रीलाल खाती
   सर्व निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री भोलाराम माली

पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती ::

निर्णय दिनांकः–29.01.2021

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम खातीखेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के पिता नानु व गोद पिता नाथु व अन्य की संयुक्त खातेदारी [illegible] आराजी संख्या 177/1 रकबा 11 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ [illegible] जिसके लिए नकल जमाबंदी संवत् 2036 से 2040 प्रार्थना पत्र के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

1.

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 27/2020(2020/00191)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

यह कि प्रार्थी के परिवार का सजरा निम्नानुसार है:–

तुलछा

नाथु फौत	नानु फौत	खेमा फौत
केवलचन्द उर्फ कंवरचन्द गोदपुत्र (प्रार्थी)	माधु, केवचन्द उर्फ कंवरचन्द	शंकर, देवीलाल, बद्री
		बद्री: छगनलाल, भगवानलाल

उक्तानुसार प्रार्थी के परिवार मे गुल पुरूष तुलछा होकर उनके तीन पुत्र क्रमशः नाथु, नानु व खेमा थे, जिनमें से नाथु लाऔलाद फौत होकर उनके प्रार्थी को गोद रखा गया तथा नानु के विपक्षी संख्या एक तथा खेमा के विपक्षी संख्या दो लगायत पांच वारिस होकर उक्तानुसार मौके पर काबिज होकर 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

यह कि ग्राम खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा का नवीन भुप्रबंध होने से साविक आराजी संख्या 177/1 रकबा 11 बिस्वा के नवीन नम्बर 273 रकबा 0.12 हे0 कायम किये गये। प्रमाण में मिलान क्षैत्रफल एवं जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 तक साथा संलग्न है।

यह कि भुप्रबंध अधिकारियों को राजस्व अभिलेखो में विधि द्वारा विहित प्रक्रियानुसार उच्चतर अधिकारियो के आदेश के बिना फेर बदल करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी उन्होंने गैर कानुनी तरीके से एवं विधि विरूद्ध तरीके से नवीन खाते में कंवरचन्द मुतबन्ना नाथु 1/3, कंवरचन्द, माधु आत्मज नानु 1/3, शंकरलाल, देवीलाल, बद्री आत्मज खेमा 1/3 खाती दर्ज करने के बजाय कंवरचन्द, माधु आत्मज नानु, शंकरलाल, देवीलाल, बद्री आत्मज खेमा खाती दर्ज कर दिया। जिसको उन्हे कोई अधिकार नहीं है। जिससे राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा का नवीन भुप्रबंध होने से साविक आराजी संख्या 177/1 रकबा 11 बिस्वा के नवीन नम्बर 273 रकबा 0.12 हे0 में दर्ज खातेदारान कंवरचन्द, माधु आत्मज नानु, शंकरलाल, देवीलाल, बद्री आत्मज खेमा खाती के बजाय कंवरचन्द मुतबन्ना नाथु 1/3, कंवरचन्द, माधु आत्मज नानु 1/3, शंकरलाल, देवीलाल, बद्री आत्मज खेमा 1/3 खाती दर्ज कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 27/2020(2020/00191)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। पेरोकार उपस्थित। जवाब पेश नहीं जवाबदेही बंद की गई। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई जो इस प्रकार हैः–

मौके अनुसार यह कि भूप्रबंध से पूर्व ग्राम खातीखेड़ा के जमाबंदी रोटेशन 2041 से 2044 के खाता संख्या 21 में अंकित खसरा नं0 साबिक 177/1मी0 रकबा 11 बिस्वा खातेदार केवलचंद मु0 नाथू माधु केवलचंद पिता नानू शंकर देवीलाल बद्री पिता खेमा खाती सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड था। परिवार के सजरे अनुसार खातेदारो का हिस्सा कंवरचंद मुत0 नाथु 1/3 माधु कंवरचंद पिता नानु 1/3 शंकरलाल देवीलाल बद्री पिता खेमा 1/3 खाती अंकित होना चाहिए।

यह कि ग्राम खातीखेड़ा में नवीन बंदोबस्त होने से साबिक खसरा नं0 177/1 के नये खसरा नं0 273 रकबा 0.12 हे0 बनाये गये तथा खातेदार कंवरचन्द माधु पिता नानु शंकरलाल देवीलाल बदी पिता खेमा खाती सा0 देह के नाम दर्ज किया गया।

यह कि साबिक राजस्व रेकार्ड के अनुसार खातीखेड़ा के हाल खसरा नं0 273 रकबा 0.12 हे0 नें खातेदार का नाम एवं हिस्सा कंवरचंद मु0 नाथु 1/3 कंवरचंद माधु पिता नानु 1/3 शंकरलाल देवीलाल पिता खेमा 2/9 छगनलाल भगवानलाल पिता बदी 1/9 खाती सा0देह दर्ज किया जाना सही है। खातेदार बद्री पिता खेमा की मृत्यु हो चुकि है।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर निवेदन किया। बाद बहस मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाडा की मौका रिपोर्ट अनुसार साबिक राजस्व रेकार्ड के अनुसार खातीखेड़ा के हाल खसरा नं0 273 रकबा 0.12 हे0 में खातेदार का नाम एवं हिस्सा कंवरचंद मु0 नाथु 1/3 कंवरचंद माधु पिता नानु 1/3 शंकरलाल देवीलाल पिता खेमा 2/9 छगनलाल भगवानलाल पिता बदी 1/9 खाती सा0देह दर्ज किया जाना सहि हाने से उक्तानुार इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं:–

3.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 27 / 2020(2020 / 00191)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

:: आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम खातीखेडा तहसील सहाडा का नवीन भुप्रबंध होने से साबिक आराजी संख्या 177 / 1 रकबा 11 बिस्वा के नवीन नम्बर 273 रकबा 0.12 हे0 में दर्ज खातेदारान कंवरचन्द, माधु आत्मज नानु, शंकरलाल, देवीलाल, बद्री आत्मज खेमा खाती के बजाय कंवरचंद मु0 नाथु 1 / 3 कंवरचंद माधु पिता नानु 1 / 3 शंकरलाल देवीलाल पिता खेमा 2 / 9 छगनलाल भगवानलाल पिता बद्री 1 / 9 खाती सा0देह दर्ज किया जाने आदेश दिया जाता है तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner